(ii) for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500).";

(b) in column (11), -

(i) under the heading "promotion", for the words, figures, brackets and letters "Pay Band-2 (Rs. 9300-34,800) with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, brackets and letters "level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;

(ii) under the heading "Deputation (including short-term contract)", in item (A), -

(I) in sub-item (ii), for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9300-34,800 with grade pay of Rs. 4800", the words, figures, brackets and letters "level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)" shall be substituted;

(II) in sub-item (iii), for the words, figures and letters "Pay Band-2, Rs. 9300-34,800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, brackets and letters "level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated the 6th June, 2015 vide number G.S.R. 103, dated the 4th June, 2015.

[F. No. 10A12/2/2016-Ad. IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy. (Ad.IIB)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चुका है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में जूनियर मेडीकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली, जूनियर मेडीकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
जूनियर मेडीकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट	33* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी| (ना कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य अर्हता: विज्ञान विषय सहित 10+2 तथा संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मेडीकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। **वांछनीय अर्हता :** मेडीकल लेबोरेटरी विज्ञान में स्नातक डिग्री। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी 1 :** पदधारी का प्रतिनियुक्त पर होने या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य कारण से एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए हुई रिक्ति को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार के उन अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा जो – क) (i) मूल केडर या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित हों; तथा (ii) पे मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों; तथा ख) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु यथा-निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित शामिल हैं- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. प्रयोगशाला विभागाध्यक्ष, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल नई दिल्ली – सदस्य 3. उप-निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. उप-निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल नई दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. ए.12018/07/2016-एम एच II **पार्ट 1**]

ग. अ. रघुवंशी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th February, 2018

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix. —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHUDLE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Medical Laboratory Technologist	33* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 years and 27 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshdweep. .	**Essential Qualification:** 10+2 with Science subjects and Diploma in Medical Laboratory Technology from any recognised institution with one year experience in the relevant filed. **Desirable Qualification:** Bachelor Degree in Medical Laboratory Science. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment **Note :**Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or Study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Government or Union Territories; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the posts in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman 2. Head of the Laboratory Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member 3. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section of Directorate General of Health Services -Member 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi. -Member	Not applicable.

[F. No. A. 12018/07/2016-MH II pt 1]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.